

आदेश

प्रार्थी संजय सिंह द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अ0 धारा 251 (क)  
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 खारिज किया जाता है।

ॐ लय ६ 14.9.21  
(राम सिंह राजावत)  
उपखण्ड अधिकारी,  
उदयपुरवाटी

निर्णय आज दिनांक 14.09.2021 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया  
गया।

ॐ लय ६ 14.9.21  
(राम सिंह राजावत)  
उपखण्ड अधिकारी  
उदयपुरवाटी

